COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, BIKANER

Ph.No. 0151 - 2204123(O) 2205123 (Fax)

E-mail Address - cvas901@gmail.com

।पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

क्रमांक वी.सी.बी./लेखा/क्रय/2023–24/ 179-181 दिनांक:– 12/5/2023

मैसर्स भगवती रिफिलर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड,
E-19 वल्लभ गार्डन, बीकानेर

विषय– कॉलेज परिसर में उगे हुए विलायती बबूल व अन्य झाड़–झखाड़ इत्यादि को जे.सी.बी. मशीन से जड सहित काटने/उखाड़ने हेतु सीमित निविदा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की सीमित निविदा क्रमांक बीसीबी/लेखा/क्रय/ 2022–23/143–148 दिनांक 01.05.2023 के अन्तगर्त आपके द्वारा प्रस्तुत सीमित निविदा के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी कॉलेज परिसर में उगे हुए विलायती बबूल व अन्य झाड़–झखाड़ इत्यादि को जे.सी.बी. मशीन से जड़ सहित काटने/उखाड़ने हेतु दर रू. 893/– प्रति घंटा समस्त प्रकार के कर /जीएसटी सहित निम्न शर्तो के अन्तगर्त अनुमोदित की जाती है :–

1. सीमित निविदा की दरो की अवधि 31.3.2024 तक मान्य होगी।
2. सीमित निविदा की वित्तीय सीमा रु 2.00 लाख के अन्दर–अन्दर होगी ।
3. कार्य के बिलों का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा । बिल कोषागार से पारित होने पर ही भुगतान किया जावेगा।
4. जे.सी.बी. मशीन मे लगने वाला डीजल, ऑयल,चालक व अन्य खर्चा होगा, जो अनुमोदित फर्म को ही वहन करना होगा ।
5. महाविधालय परिसर में विभिन्न विभागों /कार्यालयों के आस–पास उगे हुए विलायती बबूल व अन्य झाड़–झखाड़ इत्यादि को जड़ सहित जे.सी.बी. मशीन से काटकर एक जगह एकत्रित भी करना होगा ।
6. विलायती बबूल व अन्य झाड़–झखाड़ इत्यादि को जे.सी.बी. मशीन से जड़ सहित काटने/उखाड़ने का कार्य प्रभारी भवन के निर्देशानुसार करना होगा । विलायती बबूल व अन्य झाड़–झखाड़ इत्यादि को जे.सी.बी. मशीन से जड़ सहित काटते/ खोदते समय जो भी गढ़ा होगा । जो वापिस समतल करने की जिम्मेदारी भी स्वीकृत अनुमोदित फर्म की होगी।
7. कार्य के दौरान जे.सी.बी. चलने की लॉक बुक अवधि समय .... से ...तक की दिनांक वार संधारित की जाकर प्रभारी भवन द्वारा प्रमाणित की जावेगी जिसके आधार पर ही भुगतान किया जावेगा। लॉग बुक में जेसीबी का पंजीयन नम्बर अंकित करना होगा ।
8. उक्त कार्य की असंषतोषजनक रिर्पोट पायी जाने पर स्वीकृत निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा, जो सर्व मान्य होगा ।
9. किसी भी प्रकार के विवादित मामलों में अन्तिम निर्णय अधिष्ठाता का मान्य होगा।
10. किसी भी तरह का वाद विवाद न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।
11. उक्त पत्र जारी होने की तिथि से सात दिवस के अन्दर–अन्दर रू0 500/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।
12. उक्त शर्तो के अलावा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर की सामान्य निविदा शर्ते व आरटीपीपी एक्ट 2012 व नियम 2013 भी लागू होंगे ।

भ व दी य

12/5/23

(ए0पी0सिंह)
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक,राजुवास, बीकानेर।
2. प्रभारी बिल्डिंग, सी.वी.ए.एस., बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी/बिल क्लर्क, सी.वी.ए.एस., बीकानेर।

12/5/23

(ए0पी0सिंह)
अधिष्ठाता